भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4037

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बजट आवंटन

4037. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मंत्रालय के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2025-26 में कुल बजट आवंटन में 2.5 प्रतिशत की कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादकता, सिंचाई और किसानों की आय में निरंतर चुनौतियों के बावजूद उक्त कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लिए 15,864 करोड़ रुपये आवंटन में से की गई निर्धारित राशि को घटाकर 12,242 करोड़ रुपए करके इसमें 23 प्रतिशत कटौती से किसानों की जोखिम कवरेज तक पहुंच विशेषकर जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं में वृद्धि के मद्देनजर प्रभावित होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने पीएमएफबीवाई के तहत बीमा दावा भुगतान में गिरावट द्वारा किसानों की वित्तीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): भारत सरकार देश भर के किसानों के हित के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट आवंटन में की गई उल्लेखनीय वृद्धि से साफ दिखाई देता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए बजट आवंटन को वर्ष 2024-25 के 1,32,469.86 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1,37,756.55 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार (जीओआई) के विभिन्न हस्तक्षेपों के कारण इस योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा ली जाने वाली प्रीमियम दरों में काफी कमी आई है और इसलिए भारत सरकार की प्रीमियम देनदारी कम हुई है। वर्ष 2023-24 में प्रीमियम दर 10.8% है, जबकि 2020-21 में यह 15.9% थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संशोधित अनुमान (2024-25) को बजट अनुमान चरण (2024-25) के 14,600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15,864 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 01.01.2025 को हुई अपनी बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के शीर्षों में 10% अनिवार्य आवंटन से छूट की मंजूरी दे दी है, जिसके कारण पिछले वर्षों में सरेंडर की गई धनराशि को गैर-पूर्वोत्तर राज्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे विगत की देनदारियों में काफी कमी आएगी। उपरोक्त

को ध्यान में रखते हुए, बजट अनुमान 2025-26 को 12,242 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके अलावा, 01.01.2025 को आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए इस योजना के तहत 69,515.71 करोड़ रुपये के बढ़े हुए परिव्यय को भी मंजूरी दी है। इस प्रकार, अतिरिक्त आवंटन के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध है।

बीमा कंपनियों द्वारा अधिकांश दावों का निपटान इस योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। हालांकि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान बीमा कंपनियों के खिलाफ दावों का भुगतान न करने और/या देरी से भुगतान करने, बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का कम भुगतान करने, उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से का फंड प्रदान करने में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न करने आदि के बारे में विगत में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनका योजना के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से निपटान किया गया है।

चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित अन्य सभी शिकायतों/परिवादों का निपटान करने के लिए योजना के संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को प्रचालन दिशा-निर्देशों में उल्लेख किए गए अनुसार विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों के समाधान के लिए समय-सीमा भी तय की गई है।

विभाग विभिन्न तरीकों से बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है, जिसमें सभी हितधारकों की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्यक्तिगत बैठकों (वन टू वन मिटिंग) के साथ-साथ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों का समय पर निपटान करना शामिल है।

प्राप्त अनुभव, विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर तथा बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत देय लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचे।

*****